

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-62/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० ममता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-18.04.2026 से 14.10.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन का उपभोगित/उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-62/2026-

1003(2) पटना, दिनांक 15/5/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (दैं०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बांका /कोषागार पदाधिकारी, बांका/डा० ममता कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव